



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3037]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 3, 2018/श्रावण 12, 1940

No. 3037]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 3, 2018/SHRAVANA 12, 1940

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2018

**का.आ. 3827(अ).**—खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 43 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 12 जनवरी, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 97(अ), दिनांक 10 जनवरी, 2017 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

- (1) सारणी-2 में, कॉलम (2) में क्रम संख्या 10 पर “निदेशक, भारतीय सस्य (क्रॉप) प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, खाद्य संरक्षा एवं गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला, पुदुक्कोट्टै रोड, तंजावूर-613005, तमिल नाडु” शब्दों को “निदेशक, खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, पुदुक्कोट्टै रोड, तंजावूर-613005, तमिल नाडु” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(2) सारणी-2 में, क्रम संख्या 14 के पश्चात, संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्,-

क्रम सं.	अभिनिर्देश खाद्य प्रयोगशाला का नाम	एतद्दीन परिभाषित परीक्षण के विस्तार के अनुसार पूरे भारत में
(1)	(2)	(3)
“15.	निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंजाब बायोटेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर, एससीओ: 7 & 8, फेस-V, एसएएस नगर (मोहाली)-160059, पंजाब	दुग्ध और दुग्ध उत्पाद और अनुरूप; वसा, तेल और वसा मिश्रण; फल, सब्जी और उनके उत्पाद; अनाज और अनाज उत्पाद; मधु और मधुकारक; मिठास कारक मधु सहित; नमक, मसाले, मसाले और संबन्धित उत्पाद; गैर एल्कोहोलिक-कार्बनिकृत पेय पदार्थ; खनिज जल; पैकेज बंद पेय जल (खनिज जल से भिन्न) में खाद्य उत्पाद मानक, संदूषक, आविष और अवशिष्ट, सूक्ष्म जैविकीए पैरामीटर एवं खाद्य सहयोग्य।

[फा. सं. 12012/30/2016-क्यू.ए.]

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

**टिप्पण:** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 97(अ), दिनांक 10 जनवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित हुई थी और बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया:-

(1) का.आ. 3695 (अ), तारीख 20 नवंबर, 2017 ।

### MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

[FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA]

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2018

**S.O. 3827(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendment in the notification number S.O. 97(E) dated the 10<sup>th</sup> January, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) on 12<sup>th</sup> January, 2017, namely:—

- (1) In TABLE – 2, at serial number 10 in column (2) the words “Director, Indian Institute of Crop Processing Technology, Food Safety and Quality Testing Laboratory, Pudukkottai Road, Thanjavur – 613005, Tamil Nadu” shall be substituted with “Director, Food Testing Laboratory, Indian Institute of Food Processing Technology, Pudukkottai Road, Thanjavur – 613005, Tamil Nadu”.
- (2) In TABLE – 2, after serial number 14, the following entries shall be inserted in the respective columns, namely,-

Serial No.	Name of the Referral Food Laboratory	All over India – as per Scope of Testing defined hereunder
(1)	(2)	(3)
15	Director/Chief Executive Officer Punjab Biotechnology Incubator,	Food Product Standards, Contaminants, Toxins, Residues, Microbiological parameters and Food additives in milk & milk Products and analogues, Fats, Oils & Fat emulsions;

	SCO: 7 & 8, Phase -V,SAS Nagar (Mohali) - 160059, Punjab	Fruits, Vegetables and their products; Cereals & Cereal Products, Sweets & Confectionery; Sweetening agents including Honey; Salts, Spices, Condiments & related products; Non-alcoholic & Carbonated beverages; Mineral water; Packaged drinking water (other than Mineral water).
--	--	---

[F. No. 12012/30/2016-QA]

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), vide S.O. number 97 (E), dated the 10<sup>th</sup> January, 2017 and subsequently amended vide

- (i) S.O. number 3695(E), dated the 20<sup>th</sup> November, 2017.